<u>आदेश</u>

मुकदमा अपराध संख्या 195/2021 धारा 279,338,337,304ए भारतीय दण्ड सहिंता थाना जहॉगीराबाद जिला बुलन्दशहर मे **अभियुक्त सोहनपाल सिंह** न्यायिक अभिरक्षा में है, उनकी जमानत हेतु विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया है।

आवेदक की ओर से कथन किया गया है कि उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, उक्त अपराध में रंजिशन झूँठा फसाया गया है। अतः जमानत पर मुक्त किया जाए।

सुना एवं अवलोकन किया।

अभियुक्त कारित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। जमानत आवेदन में वर्णित आधार उचित एवं पर्याप्त है। अतः तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत हेतु उचित एवं पर्याप्त आधार है।

अतः आवेदक/ अभियुक्त को अंकन–20,000रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

(श्रीमती सुधा)
<u>दिनांक 09.06.2021</u> अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
Syed Arif-Ur-Rehman न्याय.कक्ष सं0–01,बुलन्दशहर।